


उदयरज सिंह विरुद्ध सूर्यप्रताप सिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 2116-दो/14



जिला - सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.7.14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अदम पैरवी की कार्यवाही को स्वीकार किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> ( एम.के. सिंह ) सदस्य, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर</p>	

पुण्य  
न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्ड रीवा

म०प्र०

145  
20-3-14



RS 20/-

उदयरज सिंह तनय श्री रामराज सिंह उम्र 75 वर्ष पेशा खेती एवं  
वकालत साकिन महरछ कदैला तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना  
म०प्र० ..... निगराकार/अनावेदक

बनाम

1: सूर्यप्रताप सिंह (फौत) वारिस पुत्र

क: श्री मोहन सिंह

ख: शिवेन्द्र सिंह

ग: गोबिन्द सिंह

घ: सुरेन्द्र सिंह

ड: विजय सिंह सभी निवासी ग्राम सज्जनपुर तहसील रामपुर  
बाघेलान जिला सतना म०प्र० ..... गैरनिगराकार/आवेदक

श्री. राकेश कुमार त्रिगम ..एड  
द्वारा आज दिनांक 20-03-14 के  
प्रस्तुत किया गया।

सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50

म०प्र०भू०रा०सं० 1959 विरुद्ध मातहत

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील

रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र०

प्रकरण क्र० 70ए27/08-09 में पारित

आदेश दिनांक 02/01/2014

मान्यवर,

उक्त उन्मान के प्रकरण में निगराकार की ओर से  
निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत है :-

01: यह कि गैरनिगराकार/आवेदक की ग्राम सज्जनपुर की  
आराजी नं० 339, आराजी नं० 38/1, आराजी नं० 39, एवं 69